न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 98/2015

1 सुखाराम पुत्र मोमन।
1/1 सोनड़ी स्त्री सुखाराम।
1/2 सत्यवीर पुत्र सुखाराम।
1/3 बिमला पुत्री सुखाराम।
1/4 चन्द्रसिंह पुत्र सुखाराम।
1/5 कृष्णा पुत्री सुखाराम।
1/6 कमला पुत्री सुखाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कुलोठ खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रामनिवास पुत्र श्योपाल।
2 सुमेर सिंह पुत्र श्योपाल।
3 सत्यपाल पुत्र श्योपाल।
4 अमित पुत्र श्योपाल समस्त जाति जाट निवासीगण कुलोठ खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 30.07.2015 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ मुकदमा उनवानी रामनिवास बनाम सुखाराम मुकदमा नम्बर 01/2014 अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हजारीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांकः– 30.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2014 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल ख.न. 118 रकबा 3.39 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम कुलोठ खुर्द तहत तहसील सुरजगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन के सह खातेदार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 4 है। जमीन हाल ख. न. 117 रकबा 4.86 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम कुलोठ खुर्द में स्थित है। उक्त जमीन का खातेदार अपीलान्ट है। रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 4 ने अदालत मातहत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेशकर अपीलान्ट की खातेदारी के खेत ख. न. 117 रकबा 4.86 हैक्टर के उतरी दिशा में 12 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। अदालत मातहत के समक्ष पत्रावली दिनांक 07.08.2015 के लिये वास्ते तलबी अपीलान्ट के लिये नियत थी इस बाबत अपीलान्ट को दिनांक 07.08.2015 के लिये नोटिस भी जारी किया था लेकिन अदालत मातहत दिनांक 30.07.2015 को नियत पेशी से पूर्व तलब की जाकर अपीलान्ट को बिना सुने अलौच्य निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने से स्पष्ट होगा की पत्रावली दिनांक 07.08.2015 को नियत थी। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इससे पूर्व ही दिनांक 30.07.2015 को पत्रावली लोक अदालत में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया हैं। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही नहीं की गई है, अपीलांट का जवाब बंद नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट को विचारण न्यायालय में दिनांक 19.06.2015 को नोटिस डिलिवर हुये है। पत्रावली में ए. डी. लगी हुई है। स्पष्ट है कि अपीलांट को प्रकरण की जानकारी थी। प्रार्थी के खेत से लगता हुआ कोई कटानी रास्ता नहीं है। मौका रिपोर्ट आइ.एल. आर. द्वारा तैयार की गई है। विचारण न्यायालय ने लघुतम दुरी का रास्ता दिया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर लोक अदालत 'न्याय आपके द्वार' में विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को विचारण न्यायालय में दिनांक 19.06.2015 को नोटिस डिलिवर हुये है। पत्रावली में ए.डी. लगी हुई है। स्पष्ट है कि अपीलांट को प्रकरण की जानकारी थी। प्रार्थी के खेत से लगता हुआ कोई कटानी रास्ता नहीं है। मौका रिपोर्ट आइ.एल.आर. द्वारा तैयार की गई है। विचारण न्यायालय ने लघुतम दुरी का रास्ता दिया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर लोक अदालत 'न्याय आपके द्वार' में विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर